संख्या-51/2026/I/1384167/2026/11-4099/25/2024

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर
उ0प्र0 शासन।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 03 जुलाई, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद-झांसी में राज्य कर कार्यालय भवन में पी0वी0सी0, फॉल सीलिंग, टाइल्स व ग्रेनाइट सम्बन्धी अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स0नि0-झांसी कार्यालय अनुरक्षण कार्य/2026-27/133/राज्य कर, दिनांक 25.05.2026 व पत्र संख्या-स0नि0-झांसी कार्यालय अनुरक्षण कार्य/2026-27/189/राज्य कर, दिनांक 25.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-झांसी में राज्य कर कार्यालय भवन में पी0वी0सी0, फॉल सीलिंग, टाइल्स व ग्रेनाइट सम्बन्धी अनुरक्षण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2059-01-051-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवनों तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य के मानक मद 29-अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष न्यूनतम आगणित कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड (भवन), झाँसी के आगणन में प्रस्तावित धनराशि रू0 226.27 लाख (रुपये दो करोड़ छब्बीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) का व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-35/2026/I/1292523/2026/11-4099/70/2025 दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2059-01-051-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवनों तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य के मानक मद 29-अनुरक्षण मद में प्रावधानित रू0 2000.00 लाख (रुपये बीस करोड़ मात्र) की धनराशि को आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखा गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद-झांसी में राज्य कर कार्यालय भवन में पी0वी0सी0, फॉल सीलिंग, टाइल्स व ग्रेनाइट सम्बन्धी अनुरक्षण कार्य** हेतु न्यूनतम

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आगणित कार्यदायी संस्था- लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड (भवन), झाँसी के प्रस्ताव के अनुसार, उक्त शासनादेश दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखाशीर्षक 2059-01-051-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवनों तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य के मानक मद 29-अनुरक्षण मद में आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन रक्षित धनराशि के सापेक्ष **रू0 226.27 लाख (रुपये दो करोड़ छब्बीस लाख सत्ताईस हजार मात्र)** की धनराशि का व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखि शर्तो/प्रतिबंधो के अधीन प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबंधों-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को अनावश्यक रूप से डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्य हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा कार्यपूर्ति सम्बन्धी फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी/सम्बंधित कार्यदायी संस्था की होगी।

(6) अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यो की द्विरावृत्ति न हो।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सम्बंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
9. सम्बंधित कार्यदायी संस्था, द्वारा आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।